

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2118-MASCOT COLLEGE OF PHARMACY, 16 KM MILESTONE, NH-74, PILIBHIT ROAD, VILL-RITHORA, BAREILLY-243122			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रू०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)


सचिव

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, MASCOT COLLEGE OF PHARMACY, 16 KM MILESTONE, NH-74, PILIBHIT ROAD, VILL-RITHORA, BAREILLY-243122



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

₹2- 18,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय परियोजनाओं (दो वर्षीय परियोजना परियोजना के अतिरिक्त) ₹10- 22,500.00 प्रतिवर्ष कुल की प्रारंभिक लागू/लागत से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त लागू/लागतों से कुल के सम्बन्ध में सम्य-समय पर समझ द्वारा निर्गत किये जाने वाले वारंट/वॉचर प्रकटी होने और अनुमान सम्बन्धी किये जाने आवश्यक होगा। जीम निर्देशन सविधि द्वारा यदि वर्ष 2018-20 से जीम का पुनर्निर्माण किया जाता है, तो जीम की स्वीकृत्य भी करण होगी।

- ✓ समझ को 10000 प्रतिशत शिक्षा सविधियों तथा एक सविधियों, वारंट/वॉचर को सम्बद्ध किया जाना निर्दिष्ट/वॉचर-2000 को जारी का अनुपालन करना होगा।
- ✓ समझ में सम्यक प्रवेश परीक्षा परिणम द्वारा अतिरिक्त नतीजे को ही प्रेषित किया जायेगा। बीटी के शिक्षण को करने की किराये में प्रत्येक प्रवेश सामान से निर्दिष्टानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ समझ को सम्य-समय पर निर्देशन वारंट/वॉचर के अनुसार निर्दिष्ट एवं सम्बद्धता सुलभ बना कराना होगा।
- ✓ समझ को एम्प्लॉयमेंट/वॉचर से आगामी रात से अनुपालन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ समझ प्रत्येक प्रवेश सामान द्वारा बनाये गये विधि/विषय/अभियोग/वॉचर/वॉचर/निर्देशों एवं निर्देशन, सविधियों शिक्षा 2000 सम्यक प्रवेश परीक्षा परिणम, वारंट तथा प्रारंभिक शिक्षा परिणम, वारंट द्वारा बनाये गये निर्देश, विनियम, निर्देशों किराये का समझ करने से किये बतय होगी।
- ✓ किराये इन कार्यवाही परियोजना की समझ यदि बीटी/वॉचर नई दिल्ली से अनुपालन प्राप्त करने में आवश्यक होगी है तो इन समझ में समझ उपस्थितित समझ का होगा और विधिगत रूप से किराये की कार्यवाही के लिए समझ बना प्रस्तावित होगी। सविधियों शिक्षा परिणम, सम्यक प्रवेश परीक्षा परिणम, प्रारंभिक शिक्षा निर्देशन एवं प्रारंभिक शिक्षा निर्देशन प्रत्येक प्रवेश सामान को कोई बतय किया जाता है तथा वारंट वारंट के समझ में ना आवश्यकता द्वारा किराये बतय की सविधियों बतय अतिरिक्त निर्गत किया जाता है तो समझ सविधियों सम्बन्धित समझ को करनी होगी।
- ✓ किराये इन कार्यवाही परियोजना सम्बन्धित करने वाली समझों को सम्यक प्रवेश परीक्षा परिणम, प्रत्येक प्रवेश सम्बन्धित द्वारा प्रारंभिक एवं बीटी/वॉचर प्रवेश परीक्षा से अनुपालन करने होने के पूर्व वॉचर/वॉचर से अनुपालन प्राप्त का परिणम सम्बन्धित की सम्बन्धित कराना होगा सम्बन्धित प्रवेश की सम्बन्धित निर्देशन के सम्बन्धित अथवा सम्बन्धित एवं बीटी/वॉचर अनुपालन गरी प्रदान की जायेगी।
- ✓ प्रत्येक प्रवेश सम्बन्धित द्वारा प्रवेश से निर्गत निर्देशन आवश्यक निर्देशन का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ समझ को अपने वेबसाइट पर समझ को समझ सुधार जैसे समझ की सविधियों/वॉचर/वॉचर, वारंट-वॉचर, वारंट/वॉचर, प्राप्त किराये करने वाला सुलभ, वारंट/वॉचर सुलभ बतय का निर्देशन सम्बन्धित कराना होगा।
- ✓ समझ को शिक्षण-परिणम से अनुपालन सम्बन्धित कराने के साथ निर्देशन कराने से सम्बन्धित में समझ आवश्यक सम्बन्धित सविधियों करनी होगी।
- ✓ समझ का सविधियों से कि समझ में प्रस्तावित/सम्बन्धित परियोजना को करने वाले से निर्देशन सविधियों के समझ सम्बन्धित कराने पर सविधियों, वॉचर-वॉचर, वॉचर/वॉचर, वारंट/वॉचर द्वारा किराये अन्य परियोजना के सम्बन्धित में प्रेषित किया जाता है और परिणम को द्वारा की जानकारी होगी है कि समझ उपरोक्त का प्रवेश किराये अन्य कार्य के लिए कर रही है तो सम्बन्धित समझ की सम्बन्धित कराना किराये करने की अनुमति दी जायेगी।
- ✓ सम्बन्धित जारी का अनुपालन न किये जाने प्रस्ताव जारी का सम्बन्धित किराये करने की किराये में निर्देशन अनुपालन/वॉचर कार्यवाही की जायेगी।

(राजीव कुमार सिंह)
सचिव

तद् दिनांक: 19-8-2018

— जलिन/परिणम सम्बन्धित/2018/1133-2252

सवि-प्रधानाध्यक्ष/निर्देशन, वैजपट कॉलेज जीम पारसी, 18 किराये सड़कस्टेशन, एनएच-74, जीम रोड, किराये-किराये, बीटी-243122

(राजीव कुमार सिंह)
सचिव